Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

राजेन्द्र पुरोहित **बनाम** **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा अपील (सूचना का अधिकार) नं0 **003** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.01.2024	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी राजेन्द्र पुरोहित, निवासी बून्दी रोड चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल नंबर 92144 30200) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2023 प्रेषित किया गया है। इस पर अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/207 दिनांक 21.12.2023 से अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2023 को निस्तारित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन/परीक्षण किया गया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अन्तर्गत धारा 6(1) में प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 16.12.2023 के संबंध में जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/207 दिनांक 21.12.2023 अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 16.12.2023 का निस्तारण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत विहित समयावधि में निस्तारित किया गया है। यह तथ्य अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के प्रमाणित पाया जाता है। हमने अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 16.12.2023 को गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन/परीक्षण किया। हमने अपीलार्थी के आवेदन-पत्र दिनांक 16.12.2023 एवं अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 21.12.2023 को गहनता पूर्वक परिशीलन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकर अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है। हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 16.12.2023 के बिन्दु संख्या 1 से लगायत 5 तक की विषय वस्तु समस्याओं के संबंध की प्रतीत होती है एवं बिन्दु संख्या 6 के संबंध में वांछित सूचना का अस्पष्ट विवरण होना पाया जाता है ऐसी स्थिति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी आवेदन-पत्र दिनांक 16.12.2023 के संबंध में किये गये निस्तारण दिनांक 21.12.2023 में किसी भी प्रकार से कोई वैधानिक त्रुटि किया जाना कारित नहीं होता है एवं हम अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन-पत्र दिनांक 16.12.2023 के संबंध में की गई कार्यवाही से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी एडमिशन स्तर पर ही सारहीन होना पाई जाती है। अतः अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 16.12.2023 के संबंध अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम को एडमिशन स्तर पर ही निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 16.12.2023 के संबंध अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम को एडमिशन स्तर पर सारहीन होने से खारीज किया जाता है। अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर अभिलेख में अंकन किया जावें। अहकाम की प्रतिलिपि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।

-S/D-

(आलोक रंजन)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी

जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़

19.01.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official